सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए दावा प्रारूप – ग में किया जाता है एवं प्रमाण पत्र उपाबंध 4 में प्राप्त होता है

वन अधिकार संशोधन नियम – 2012 में दोनों प्रपत्र शमिल किये गये

''प्रारूप–ग''

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

[अधिनियम की धारा 3(1)(झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए]

(01) ग्राम/ग्राम सभा :

(02) ग्राम पंचायत :

(03) तहसील/तालुक :

(04) जिला :

(05) ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य पंरपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

(06) खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :

(07) सीमा से लगते हुए ग्रामः

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

(08) समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार(दावेदारों)का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान :